

4/8/22

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित
 अ.प्रार्थी वं.। चानी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
 अवगत कराया कि ऋण की समस्त राशि जमा
 करा दी है उक्त प्रकरण एवं ऋण के संबंध में
 जब कोई राशि बकाया नहीं है। प्रार्थी के
 अधिवक्ता द्वारा चानी द्वारा बकाया रकम जमा
 करा देने से प्रकरण उत्थाहरित (विषय) करने
 निवेदन किया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
 14 सरपेसी एक्ट 2002 डी स्ट्रेज पर श्वारीज
 किया जाता है पत्रावली फ़ैलम शुमार होकर
 दायिम दफ्तर है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
 बांसवाड़ा (राज.)

